भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 917

03 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीडीएससीओ द्वारा पहचानी गई घटिया दवाएं

917. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने उच्च रक्तचाप, एसिड रिफ्लक्स और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए दी जाने वाली दवाओं सहित 50 घटिया दवाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) पिछले वर्ष घटिया दवाओं की गोलियों से संबंधित कितने मामले सामने आए हैं, विनिर्माताओं के विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष में सीडीएससीओ द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कितने प्रतिशत दवाओं की गोलियों का परीक्षण किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई/नकली/गलत ब्रांड वाली/मिलावटी घोषित की गई विभिन्न कंपनियों की औषधियों की सूची नियमित रूप से अपलोड की जाती है और ड्रग अलर्ट (www.cdsco.gov.in) शीर्षक के अंतर्गत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। औषधियों की गुणवत्ता या सुरक्षा से संबंधित मामलों में, जब भी रिपोर्ट की जाती है, तो संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें समुचित न्यायालय में मुकदमा चलाना भी शामिल है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई/नकली/मिलावटी बताए गए औषधि नमूनों की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई निम्नानुसार है:

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	**परीक्षण किये गये औषधियों के नमूनों की संख्या**	**मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए गये औषधि नमूनों की संख्या**	**नकली/मिलावटी घोषित किये गये दवा नमूनों की संख्या**	**नकली/मिलावटी दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के विरुद्ध शुरू किए गए अभियोजन की संख्या**
2023-24	1,06,150	2,988	282	604

******